भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1817

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

05 श्रावण, 1944 (शक)

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का फेल होना

1817. श्री कल्याण बनर्जी :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास आधार प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं में बार-बार होने वाली त्रुटियों के कारण बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की विफलता के संबंध में रिपोर्ट है;

(ख) यदि हां, तो आधार डेटा में बायोमेट्रिक बेमेल के कारण अठारह प्रतिशत से अधिक प्रमाणीकरण विफल होने के मामलों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उन व्यक्तियों के लिए वित्त मंत्रालय के साथ क्या उपाय किए गए हैं जो आधार को पैन कार्ड से जोड़ने और अथवा उसे मतदाता कार्ड के साथ अद्यतन करने में विफल रहे हैं; और

(घ) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के कार्यकरण की जवाबदेही और उसमें प्रक्रिया के अनुपालन संबंधी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की हालिया रिपोर्ट क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क): जी, हाँ। बायोमेट्रिक के माध्यम से पहचान प्रमाणीकरण की विफलता के पीछे विभिन्न कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जैसे कि खराब हो चुके फिंगर प्रिंट के कारण बायोमेट्रिक ठीक प्रकार से कैप्चर न हो पाना, डिवाइस पर उंगली का ठीक से रखा न होना, नेटवर्क की विफलता से संबंधित त्रुटियां आदि।

(ख): बायोमेट्रिक के माध्यम से पहचान प्रमाणीकरण की सफलता दर बढ़ाने के लिए, यूआईडीएआई अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रमाणीकरण ऑपरेटरों को लगातार प्रशिक्षण प्रदान करता है और वृद्धावस्था वाले निवासियों और ऐसे निवासियों जिनके उंगलियों के निशान खराब हो गए हैं के लिए आइरिस उपकरणों के माध्यम से पहचान प्रमाणीकरण के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।

(ग): आधार-पैन लिंकिंग का कार्य दिनांक 01.07.2017 से शुरू हो गया है। पैन धारक को अपने पैन को आधार से जोड़ने की सुविधा के लिए सरकार पैन को आधार से जोड़ने की तारीख बढ़ाती रही। बिना किसी शुल्क के आधार-पैन लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। हालांकि, करदाताओं को होने वाली असुविधा को देखते हुए, वित्त मंत्रालय, सीबीडीटी ने दिनांक 29 मार्च 2022 की अधिसूचना के माध्यम से 31 मार्च, 2023 तक करदाताओं को कुछ शुल्क का भुगतान करने के बाद अपने आधार को पैन से जोड़ने के लिए एक अवसर प्रदान किया है, जिसके न किये जाने पर करदाताओं का पैन जो उनके आधार से लिंक नहीं हो पाता है, निष्क्रिय हो जाएगा।

साथ ही, दिनांक 30.12.2021 को कानून और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग द्वारा अधिसूचित चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 के अनुसार, अधिसूचना की धारा 23(6) में प्रावधान है कि-

"(6) मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए किसी भी आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा और विनिर्धारित किए गए ऐसे पर्याप्त कारण से किसी भी व्यक्ति द्वारा आधार संख्या प्रस्तुत करने या सूचित करने में असमर्थ होने के लिए मतदाता सूची में किसीभी प्रविष्टि को हटाया नहीं जाएगा :

बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति को विनिर्धारित किए अनुसार ऐसे अन्य वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी।"

(घ): "यूआईडीएआई के कामकाज पर निष्पादन लेखापरीक्षा" पर सीएजी की 2021 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 24-(एमईआईटीवाई) की सिफारिशों को कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर लिया गया है। की गई कार्रवाई की रिपोर्ट ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम (एपीएमएस)
(https://apms.nic.in/) पर अपलोड कर दी गई है।

****